संख्या– 2880/1–10–2008–12(78)/2008

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा एवं महोबा।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 11 जून, 2008

विषयः–बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की समस्या के दृष्टिगत टैंक/बन्धी निर्माण हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री जितेन्द्र कुमार सचिव, नलकूप एवं लघु डाल नहर अनुभाग के पत्र संख्या 1584/08–87–नलकूप–08 दिनांक 22.5.2008 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई के त्वरित उपाय के कम में तालाब/बन्धियों को गहरा कर क्षमता पुनर्स्थापना, सुदृढीकरण/सुधार कार्य जिससे एक ओर सूखाग्रस्त क्षेत्र में कृषको को समुचित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी वही जल संचयन होगा, जिससे भूगर्भ रिचार्जिंग के साथ–साथ सूखे की स्थिति में ग्रामवासियों के पशुओं को पीने हेतु जल भी उपलबध होगा तथा क्षेत्र के कुए एंव हैन्ड पम्पों के जल स्तर मे भी वृद्वि होगी। अतः सूखे के न्यूनीकरण हेतु निम्नाकिंत प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन रू0 31,20,16.000/– (रूपये इक्तीस करोड़ बीस लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण(डी0आर0डी0ए0) के पी0एल0ए0 में रखा जायेगा तथा कार्य हित में जिलाधिकारी द्वारा निमाण इकाई को उपलब्ध कराया जायेगा। इन कार्यों की निर्माण इकाई सिंचाई विभाग होंगे।

3. जिलाधिकारी कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करेगें कि प्रश्नगत कार्य के लिए किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है।

4. प्रश्नगत कार्यो को निर्धारित मानकों एवं विशिष्टताओं के अनुरूप स्वीकृत किया जायेगा तथा कार्यो को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूर्ण किया जायेगा।

5. स्वीकृत किये जा रहे कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 के शासनादेश संख्या ई–8–303/दस–06–89/2004 दिनांक 2.3.2006 के आलोक में सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

6. उक्त परियोजनाओं पर व्यय होने वाली धनराशि की सूची मा0 जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

7 कार्य की सतत् निगरानी/गुणवत्ता हेतु **मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्क फोर्स भी गठित करेगें** जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्क फोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा। **निरीक्षण आख्या शासन को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाय।** जांच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप निरीक्षण की दिनांक के **02 दिन के अन्दर** उपलब्ध करायी जायेगी।

8. जिलाधिकारी विभाग की मांग प्रस्ताव के आधार पर उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुरूप धनराशि उपलब्ध करायेगें तथा इस धनराशि का प्रयोग केवल संलग्न परियोजनाओं की सूची में उल्लिखित कार्यो हेतु ही किया जा सकेगा। अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नही हुई हो।

9. इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचत सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 25.3.2009 तक शासन को समर्पित कर दिया जाय।

10. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।

11. उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

12. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत (पूंजी लेखा) लेखाशीर्षक "4575–अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य–800–अन्य व्यय–03–बुन्देलखण्ड एवं अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पूंजीगत कार्य–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–ई–5–1090/दस–2008 दिनांक 11 जून 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राजस्व आयुक्त एवं सचिव।

संख्या –2880(1)/1–10–2008–12(78)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।/ प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
3. मण्डलायुक्त, झॉसी एवं चित्रकूटधाम ।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, झॉसी, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा एवं महोबा।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग –6/11/वेबसाइट के उपयोग हेतु।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव

शासनादेश संख्या–2880 / 1–10–2008–12(78) / 2008
दिनांक 11 जून, 2008 का संलग्नक।

1. जनपद–झांसी

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम(टैंक / बन्धी)	सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत आगणन की लागत	प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत
1.	बधेरा	14.00	13.04
2.	हीरापुर	20.00	19.96
3.	खैलार	41.00	39.93
4.	गेगौनी	42.00	40.88
5.	मुस्तरा	14.00	13.63
6.	मराड़ी	31.00	30.18
7.	रमपुरा–मथनपुरा	20.89	19.79
8.	रक्सा	20.70	19.99
9.	पाली पहाड़ी	80.78	78.42
10.	सरोल	19.12	18.54
11.	गोरा	53.41	52.00
12.	छपरा	15.95	15.26
13.	बिरगंवा	43.99	42.76
14.	पहलुवॉ	30.35	29.40
15.	ढिकौली	14.21	13.25
16.	पुरावली	15.93	15.28
	योग	**477.41**	**462.23**

2. जनपद–ललितपुर

क्र0सं0	परियोजना का नाम(टैंक / बन्धी)	सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत आगणन की लागत	प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत
1.	डोंगरा खुर्द	10.38	10.04
2.	धवा	8.89	8.59
3.	अर्जुन खिरिया	17.11	16.58
4.	बानपुर नया	19.09	18.79
5.	बानपुर पुराना	17.34	17.32
6.	सुनवाहा	14.73	14.47

7.	खडखडी झील	17.47	16.96
8.	सिरौजी	15.59	15.07
9.	नन्नौरा	13.49	13.06
10.	जखौरा	7.41	7.31
11.	विनायक माफी	3.01	2.63
12.	धिसोली	5.60	5.50
13.	बिरधा	7.51	7.24
14.	गजौरा	8.51	8.19
15.	बिरजौठा	5.50	5.34
	योग	**171.61**	**167.09**

3. <u>जनपद–चित्रकूट</u>

क0सं0	परियोजना का नाम(टैंक / बन्धी)	सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत आगणन की लागत	प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत
1.	हेला टैंक	65.16	65.16
2.	डोडा टैंक	39.09	39.09
3.	बारामाफी टैंक	99.05	99.05
4.	गढवा टैंक	144.44	142.08
5.	कोटरा खम्भा टैंक	175.81	175.08
6.	खण्डेहा टैंक	190.18	190.18
7.	खपटीहा टैंक	103.94	103.94
8.	औंझर टैंक	332.84	332.84
	योग	**1150.51**	**1147.42**

4. <u>जनपद–बांदा</u>

क0सं0	परियोजना का नाम(टैंक / बन्धी)	सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत आगणन की लागत	प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत
1.	पंचमपुर टैंक एवं माइनर	51.87	51.87
	योग	**51.87**	**51.87**

5. <u>जनपद–महोबा</u>

क्र0सं0	परियोजना का नाम(टैंक / बन्धी)	सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत आगणन की लागत	प्रायोजना रचना मूल्यांकन भाग द्वारा आंकलित लागत
1.	राहिला टैंक	94.90	94.75
2.	बीजानगर टैंक	304.25	304.10
3.	थाना टैंक	227.30	227.14
4.	बडी बन्धी टैंक	119.00	118.73
5.	बिल्खी टैंक	109.70	109.70
6.	उरवारा टैंक	277.34	277.03
7.	छत्तरवारा टैंक	160.10	160.10
	योग	**1292.59**	**1291.55**
	महायोग	**3143.99**	**3120.16**
(रूपये इक्तीस करोड़ बीस लाख सोलह हजार मात्र)			

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।